भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 193

25.11.2024 को उत्तर के लिए

मानव-पशु संघर्ष

193. श्री एंटो एन्टोनीः
श्री बैन्त्री बेहननः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क. पिछले पांच वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए मानव-पशु संघर्षों और इन घटनाओं के परिणामस्वरूप मानव जनहानि की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

ख. पिछले पांच वर्षों के दौरान मानवीय गतिविधियों के कारण मृत वन्यजीवों की प्रजाति-वार संख्या क्या है।

ग. पिछले पांच वर्षों के दौरान वन्य जीवों द्वारा फसल क्षति की कितनी घटनाएं दर्ज की गईं और इन घटनाओं से होने वाली अनुमानित आर्थिक हानि क्या है;

घ. मानव-पशु संघर्ष से संबंधित क्षति के लिए दायर प्रतिपूर्ति के दावों की संख्या तथा इसमें कितने मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है;

ङ. सरकार द्वारा विशेष रूप से वन क्षेत्रों की परिधि पर मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती संख्या का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

च. सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के विलय के बाद निधि के कुप्रबंधन से बचने के लिए क्या कार्रवाई की जानी है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्रीः
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान बाघों और हाथियों के हमलों के कारण मारे गए लोगों का राज्यों द्वारा यथासूचित ब्यौरा **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राकृतिक कारणों से पृथक अन्य कारणों से हुई बाघों और हाथियों की मृत्यु की संख्या, राज्यों द्वारा यथासूचित ब्यौरे के अनुसार, क्रमशः **अनुबंध-III, अनुबंध-IV, अनुबंध-V, अनुबंध-VI और अनुबंध-VII** में दी गई है।

(ग) और (घ): वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण होने वाली फसल क्षति की घटनाओं और मुआवजे के दावों के बारे में डेटा राज्य स्तर पर संकलित किया जाता है।

(ङ) और (च): वन्यजीवों के संरक्षण तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत देश भर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों यथा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और समुदाय रिजर्वों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है।

ii. केन्द्र सरकार देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों-'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों के तहत समर्थित कार्यकलापों में, फसल लगे खेतों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु सौर ऊर्जा से संचालित विद्युत बाड़, कैक्टस को रोपण करके जैविक-बाड़, बाउंडरी वॉल, आदि जैसे भौतिक अवरोधकों का निर्माण/सृजन शामिल है।

iii. मंत्रालय द्वारा जंगली जानवरों की प्रजातियों की संख्या के प्रबंधन के संबंध में जनवरी, 2018 में, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में प्रजनन नियंत्रण उपायों की क्षेत्र अनुप्रयोज्यता की जांच करने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को "मानव-वन्यजीव संघर्ष में शामिल प्रजातियों की संख्या का प्रबंधन" नामक एक परियोजना सौंपी गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य देश में जंगली जानवरों के साथ होने वाली संघर्ष की स्थिति को प्रबंधित करने हेतु प्रतिरक्षा-गर्भ-निरोध सहित अनेक प्रकार की उपशमन कार्यनीतियां तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना है।

iv. इस मंत्रालय द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए फरवरी, 2021 में एक परामर्शिका जारी की गई है। इस परामर्शिका में समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई करने, संघर्ष के हॉट-स्पॉटों की पहचान करने, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने, त्वरित अनुक्रिया दलों

का गठन करने, अनुग्रह राहत राशि की मात्रा की समीक्षा करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन करने, त्वरित भुगतान करने हेतु मार्गदर्शन/अनुदेश जारी करने की अनुशंसा की गई है।

v. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के संबंध में दिनांक 03 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
vi मंत्रालय ने 21.03.2023 को मानव-वन्यजीव संघर्ष स्थितियों से निपटने के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
vii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने हेतु विनियामक कार्यकलाप निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के विलय के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा धन के कुप्रबंधन की कोई सूचना नहीं मिली है।

*****

अनुबंध-I

'मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 193 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध''

<u>हाथियों के हमले के कारण हताहत लोगों की संख्या</u>

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	4	6	एनआर	5	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0	0
3	असम	75	91	63	80	74
4	छत्तीसगढ	77	42	64	69	51
5	झारखंड	84	74	133	96	87
6	कर्नाटक	30	26	27	29	48
7	केरल	13	27	35	27	22
8	महाराष्ट्र	1	एनआर	0	2	5
9	मेघालय	4	6	3	3	7
10	नगालैंड	0	0	2	1	1
11	ओडिशा	117	93	112	148	154
12	तमिलनाडु	58	57	37	43	61
13	त्रिपुरा	2	1	2	2	1
14	उत्तर प्रदेश	6	1	0	4	4
15	उत्तराखंड	एनआर	एनआर	एनआर	4	8
16	पश्चिम बंगाल	116	47	77	97	99
कुल		**587**	**471**	**557**	**610**	**628**

* एनआर - राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अनुबंध- II

'मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 193 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बाघ के हमले से हुई मानव मृत्युओं का विवरण

क्र. सं.	**राज्य**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 (30-06-2024 तक)**
1	बिहार	0	1	4	9	-	1
2	छत्तीसगढ	0	0	0	0	3	0
3	कर्नाटक	4	0	1	1	8	1
4	केरल	0	2	0	0	0	0
5	मध्य प्रदेश	1	11	2	3	10	6
6	महाराष्ट्र	26	25	32	82	35	20
7	राजस्थान	5	0	0	0	-	0
8	तमिलनाडु	0	1	3	0	1	0
9	तेलंगाना	0	2	0	0	-	0
10	उत्तर प्रदेश	8	4	11	11	25	10
11	उत्तराखंड	2	0	1	3	-	6
12	पश्चिम बंगाल	3	5	5	1	-	-
	कुल	**49**	**51**	**59**	**110**	**82**	**44**

अनुबंध- III

'मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 193 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अवैध शिकार, जब्ती और अप्राकृतिक कारणों से बाघों की हुई मृत्यु की दी गई सूचना का विवरण

वर्ष	अवैध शिकार	जब्ती	अप्राकृतिक कारण	कुल
2019	17	4	3	24
2020	15	3	2	20
2021	8	1	11	20
2022	12	2	15	29
2023	12	4	9	25
2024 (20.11.2024 तक)	1	0	0	01
कुल	**65**	**14**	**40**	**119**

अनुबंध- IV

'मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 193 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

रेल दुर्घटनाओं के कारण हाथियों की हुई मृत्यु

क्र. सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	असम	2	5	8	7	2
2	पश्चिम बंगाल	5	0	0	1	4
3	तमिलनाडु	0	1	3	0	0
4	झारखंड	1	1	0	1	1
5	केरल	3	0	0	2	0
6	ओडिशा	1	4	3	3	5
7	त्रिपुरा	0	0	0	0	1
8	उत्तराखंड	2	एनआर	एनआर	1	4
9	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	0	1	1	0	0
	कुल	14	12	15	15	17

***एनआर-राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।**

अनुबंध- V

'मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 193 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बिजली के झटके से हाथियों की हुई मृत्यु

क्र. सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	5	1	एनआर	5	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	एनआर	1	0
3	असम	11	13	12	8	11
4	छत्तीसगढ	2	7	4	9	10
5	झारखंड	5	5	4	6	10
6	कर्नाटक	8	9	7	15	13
7	केरल	4	2	6	7	10
8	महाराष्ट्र	0	एनआर	0	0	2
9	मेघालय	5	0	1	1	1
10	नगालैंड	2	1	1	0	1
11	ओडिशा	9	8	13	26	15
12	तमिलनाडु	15	9	5	14	6
13	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
14	उत्तर प्रदेश	3	0	2	0	1
15	उत्तराखंड	2	एनआर	एनआर	3	1
16	पश्चिम बंगाल	5	10	2	5	7
	कुल	**76**	**65**	**57**	**100**	**94**

*एनआर-राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

अनुबंध- VI

'मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 193 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अवैध शिकार के कारण हाथियों की हुई मृत्यु

क्र. सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	असम	0	0	0	2	1
2	झारखंड	1	0	0	0	0
3	केरल	1	1	0	0	0
4	महाराष्ट्र	0	एनआर	0	0	0
5	मेघालय	4	7	0	3	0
6	नगालैंड	0	2	0	0	0
7	ओडिशा	3	2	1	8	3
8	तमिलनाडु	0	2	3	1	4
9	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	1
	कुल	**9**	**14**	**4**	**14**	**9**

*एनआर-राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

अनुबंध- VII

'मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 193 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जहर के कारण हुई हाथियों की हुई मृत्यु

क्र. सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	असम	0	1	6	2	1
2	छत्तीसगढ	0	1	0	1	0
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	0
कुल		**0**	**2**	**6**	**4**	**1**

*****